मण्डी परिषद के संचालक मण्डल की 128वीं बैठक दिनांक 18.06.2008 का कार्यवृत्त

बैठक का स्थानः किसान मण्डी भवन,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
बैठक का समयः मध्यान्ह 12.00 बजे।

उपस्थिति

1.	श्री इन्द्रजीत सरोज, मा0 अध्यक्ष, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।	अध्यक्ष	श्री इन्द्रजीत सरोज, मा0 अध्यक्ष, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
2.	श्री विजय बहादुर कुशवाहा मा0 उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष	श्री विजय बहादुर कुशवाहा मा0 उपाध्यक्ष
3.	श्री प्रदीप सैनी, मा0 उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष	श्री प्रदीप सैनी, मा0 उपाध्यक्ष
4.	श्री विद्रोही धनपति राम मौर्य, मा0 उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष	श्री विद्रोही धनपति राम मौर्य, मा0 उपाध्यक्ष
5.	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य	श्री वी0के0 शर्मा कृषि उत्पादन आयुक्त
6.	सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य	श्री अरूण कुमार सिन्हा सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार
7.	डा0 बसन्त राम, कुलपति, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद	सदस्य	डा0 बसन्त राम, कुलपति, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
8.	प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ	प्रतिनिधि	श्री पी0एन0 सिंह, उप सचिव, कृषि विभाग,
9.	कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।	प्रतिनिधि	श्री आर0आर0 वर्मा, कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय
10.	निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ0प्र0, लखनऊ।	प्रतिनिधि	श्री सुरेन्द्र, अपर निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ0प्र0, लखनऊ।
11.	निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्यान भवन, लखनऊ	प्रतिनिधि	श्री घनश्याम यादव, उप निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
12.	निदेशक कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य	श्री राजेश कुमार सिंह, निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार,
13.	श्री राजेश कुमार सिंह, सदस्य एवं सचिव	सदस्य/ सचिव	श्री राजेश कुमार सिंह सदस्य एवं सचिव

मद संख्या	प्रस्ताव	कार्यवाही/निर्णय
1	मा0 परिषद की 127वीं बैठक की कार्यवाही की पुष्टि।	कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

2	मा0 परिषद की 127वीं बैठक की अनुपालन आख्या।	मा0 परिषद की 127वीं बैठक की अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।
3	मण्डी समिति की आय से सम्बन्धित प्रगति का प्रस्ताव।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा मण्डी समिति की आय की प्रगति अवलोकित की गयी।
4	"अपना बाजार" परियोजना को क्रियाशील कराने के सम्बन्ध में वर्तमान में उपलब्ध गैरविवादित दूकानों के आवंटन पर विचार।	1. मा0 संचालक मण्डल द्वारा पिछली बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप "अपना बाजार" की दुकानों के आवन्टन सम्बन्धी विनियमावली–2008 प्रस्तुत की गयी जिसका अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया कि प्रश्नगत नियमावली का विधिवत विधिक्षण कराकर अंगीकृत किया जाए। 2. मै0 ए0एन0बी0 कन्सलटेन्ट द्वारा मा0 संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण का सार "अपना बाजार" की गैर विवादित दुकानों के सम्बन्ध में विभिन्न खुदरे सामानों के ले–आउट के सम्बन्ध में था एवं उन दुकानों की अधिकतम् अनुमन्य संख्या के सम्बन्ध में था। प्रस्तुतीकरण के अनुसार प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। उसके अनुसार आवन्टन कार्यवाही तत्काल कराये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये। 3. मै0 ए0एन0बी0 कन्सलटेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रोजेक्ट फीस एवं कन्सलटेन्सी फीस रू0 1.50 लाख (रू0 एक लाख पचास हजार मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।
5	मण्डी परिषद/मण्डी समितियों में निधि प्रबन्धन हेतु ऑन लाईन व्यवस्था लागू किये जाने का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव।	मण्डी परिषद/ मण्डी समितियों में निधियों के प्रबन्धन में पारदर्शिता, बैंक ड्राफ्ट बनवाने से मुक्ति, कमीशन के रूप में भुगतान की जाने वाली धनराशि की बचत, बैंक ड्राफ्ट बनवाने एवं सम्बन्धित को भेजने में समय की बचत एवं यात्रा भत्ता व्यय में कमी, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से धन की बचत, मण्डी समितियों में चेक बाउन्स होने से मुक्ति, आर0सी0 के द्वारा रिकवरी, विभागीय कार्यवाहियों से छुटकारा आदि हेतु स्टेट बैंक आफ इण्डिया के माध्यम से आन लाईन व्यवस्था लागू किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। इसे आगामी कृषि वर्ष के प्रारम्भ से प्रभावी करने के निर्देश दिये गये तथा मा0 संचालक मण्डल द्वारा यह अपेक्षा भी की गयी कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया उन समस्त मण्डी स्थलों में अपनी शाखायें खुलवाने का प्रयास करे जहां यह वर्तमान में नही है।
6	मण्डी परिषद के क्षेत्रान्तर्गत बनने वाली सड़कों, मण्डी समितियों तथा अन्य सम्पत्तियों के प्रबन्धन हेतु भौगोलिक सूचना तंत्र (GIS) की स्थापना।	मा0 संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुतीकरण के उपरान्त निर्मित एवं स्थापित इन सम्पत्तियों की निगरानी एवं सुप्रबन्धन हेतु नवीन टेक्नालाजी भौगोलिक सूचना तंत्र (GIS) की स्थापना की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी। मा0 सदस्यों द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी कि इस व्यवस्था को लागू करने पर व्यय की जाने वाली सम्भावित धनराशि को पूर्ण विवरण के साथ आगामी संचालक मण्डल के समक्ष पुनः पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत किया जाय।

7	उ0प्र0 की मण्डी समितियों के मण्डी स्थलों में मण्डी एवं स्टेक होल्डर्स के मध्य आधारभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु मण्डी स्वास्थ्य कार्ड योजना/कृषक संस्तुष्टिकरण स्तर लागू किए जाने हेतु भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 द्वारा अध्ययन/सर्वे कराये जाने विषयक प्रस्ताव।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि– 1. उ0प्र0 की मण्डी समितियों के मण्डी स्थलों में मण्डी एवं स्टेक होल्डर्स के मध्य आधारभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु मण्डी स्वास्थ्य कार्ड योजना/ कृषक संस्तुष्टिकरण स्तर लागू किए जाने के लिए पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में 09 जोन में से 05 जोन में किया जाय जिसमें 03 सबसे अच्छी एवं 02 सबसे खराब मण्डी का अध्ययन/ सर्वे भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 से कराया जाय। 2. किसानों की समस्याओं के निराकरण तथा उनकी संतुष्टि हेतु वस्तुनिष्ठ एवं व्यापक सुझाव प्राप्त किये जाय, जिसमें अध्ययन/ सर्वे विषय पर न होकर अंकों के आधार पर किया जाय। इसमें छोटी सी छोटी समस्याओं का अंक निर्धारित किया जाय।
8	आम निर्यात के प्रोत्साहन योजनान्तर्गत आम परिवहन हेतु रेफ्रिजरेटेड वैन के क्रय/उपलब्धता के सम्बन्ध में विचार।	प्रस्ताव को गहन परीक्षणोपरान्त विस्तृत स्वरूप प्रदान करते हुए आगामी बैठकों में प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की गई।
9	आम निर्यात हेतु ब्राण्ड प्रोमोशन सहायता नियमावली, 2005' एवं आम निर्यात हेतु हवाई/समुद्री भाड़े में सहायता नियमावली, 2005 के अन्तर्गत ब्राण्ड प्रोमोशन अनुदान एवं हवाई/समुद्री भाड़े में अनुदान राशि में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव।	निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि आंधी आदि कारणों से आम की क्षति अधिक हुई है, मानसून जल्दी आ जाने के कारण आम के आकार में जो बढ़ोत्तरी होनी चाहिए उस अनुपात में नही हुई है फिर भी आम निर्यात का लक्ष्य पिछले वर्ष की अपेक्षा पाँच गुणा बढ़ाकर रखा गया है। नवाब ब्राण्ड आम के निर्यात हेतु ब्राण्ड प्रमोशन (अनुदान) हवाई/ समुद्री भाड़ा अनुदान रू0 10.00 प्रति कि0ग्रा0 के स्थान पर रू0 13.00 प्रति कि0ग्रा0 अथवा भाड़े का 25 प्रतिशत जो भी कम हो तथा सड़क परिवहन से गैर रूपया निर्यात की दशा में रू0 6.50 प्रति कि0ग्रा0 का अनुमोदन मा0 संचालक मण्डल द्वारा प्रदान किया गया।
10	नवीन मण्डी स्थलों में उपलब्ध भूमि पर फल–सब्जी वेस्ट (Waste) को वर्मी कम्पोस्ट निजी क्षेत्र में तैयार कर विक्रय करने की सुविधा पर विचार।	मा0 संचालक मण्डल के समक्ष आई0वी0आर0आई0 द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तुतीकरण पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी तथा नवीन मण्डी स्थलों में उपलब्ध भूमि पर फल–सब्जी वेस्ट (Waste) को वर्मी कम्पोस्ट निजी क्षेत्र में तैयार कर विक्रय करने की सुविधा को आई0वी0आर0आई0 एवं मण्डी परिषद के संयुक्त तत्वाधान में पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में फल सब्जी मण्डी, बरेली में प्रारम्भ किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि इस प्रोजेक्ट हेतु आई0वी0आर0आई0, इज्जतनगर, बरेली द्वारा बौधिक निवेश किया जायेगा एवं प्रोजेक्ट को लागू करने हेतु धनराशि की आवश्यकता का आंकलन करते हुए धनराशि की मांग मण्डी परिषद से की जायेगी जिसे मण्डी परिषद द्वारा प्रदान किया जायेगा। इस प्रोजेक्ट को चलाने हेतु एक मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टैन्डिग (एम0ओ0यू0) तैयार किया जायेगा जो आई0वी0आर0आई0 बरेली एवं मण्डी परिषद द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगा जिसमें उन सभी शर्तो का प्राविधान होगा

		जो इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए आवश्यक होगा तथा दोनों पार्टियों यथा आई0वी0आर0आई0 बरेली एवं मण्डी परिषद के दायित्वों एवं कर्तव्यों का भी स्पष्ट उल्लेख रहेगा। मा0 संचालक मण्डल द्वारा इस सम्बन्ध में आई0वी0आर0आई0 बरेली द्वारा प्रस्तुत पाईलेट प्रोजेक्ट को स्वीकृत किया गया।
11	डा0 एन0के0 डडलानी को नोयडा स्थित पुष्प मंडी परियोजना के संचालन के संबंध में पार्ट टाइम विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त करने पर विचार।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। डा0 एन0के0 डडलानी की सेवायें एक वर्ष हेतु (01.06.08 से 3105.09) पार्ट टाइम विशेषज्ञ के रूप में प्राप्त की जाय।
12	खाण्डसारी समाधान योजना के अन्तर्गत मण्डी शुल्क से छूट प्राप्त करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या–1870 (एम0बी0) आफ 1996, हनुमन्त ट्रेडर्स व अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26.03.2008 को पारित निर्णय के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	खाण्डसारी समाधान योजना के अन्तर्गत मण्डी शुल्क से छूट प्राप्त करने हेतु दायर याचिका संख्या–1870 (एम0बी0) आफ 1996, हनुमन्त ट्रेडर्स व अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य पर मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में मा0 संचालक मण्डल के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया परन्तु याचीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। मा0 संचालक मण्डल द्वारा निदेशक, मण्डी परिषद को सुनवाई कर गुणदोष के आधार पर निर्णय करने हेतु अधिकृत किया गया।
13	मण्डी/उपमण्डी घोषित कराने तथा घोषित उपमण्डी को स्वतन्त्र मण्डी घोषित कराने हेतु मानक निर्धारित किये जाने पर विचार।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि मण्डी/ उपमण्डी घोषित कराने के प्रस्ताव में प्रस्तावित मानक निर्धारण के अतिरिक्त स्वतंत्र मण्डी अथवा उप मण्डी को स्वतंत्र मण्डी घोषित कराने हेतु लाईसेन्सियों की संख्या न्यूनतम क्रमशः 25 तथा उप मण्डी घोषित कराने हेतु लाईसेन्सियों की संख्या न्यूनतम 10 अवश्य हो।
14	16 ए0पी0 सेन रोड स्थित पुराने कार्यालय भवन को तोड़कर कृषि विपणन एवं फसलोत्तर प्रबन्धन प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने हेतु भवन निर्माण तथा कृषि विपणन एवं फसलोत्तर प्रबन्धन संस्थान को भारतीय प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ के साथ संयुक्त स्कन्ध के रूप में संचालित किये जाने का प्रस्ताव।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी तथा निर्णय लिया गया कि– 1. प्रश्नगत कृषि विपणन एवं फसलोत्तर प्रबन्धन प्रशिक्षण संस्थान में डिप्लोमा एवं डिग्री कोर्स भी संचालित करने के उददेश्य से आवश्यक ए0आई0सी0टी0ई0 का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय। 2. आई0आई0एम0 (भारतीय प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ) से इन्स्टीटयूशनल पार्टनरशिप हेतु टी0ओ0आर0 तैयार कर लिया जाय। 3. उत्तर प्रदेश शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग से विचार विमर्श कर उनके सुझाव भी प्राप्त कर लिये जाय। तद्नुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए पुनः सुविचारित प्रस्ताव मा0 संचालक मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
15	राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत ठेकेदारों की श्रेणीवार पंजीकरण / नवीनीकरण नियमावली–1997 में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

16	इलेक्ट्रानिक वे–ब्रिजेज के संचालन के सम्बन्ध में।	मा0 संचालक मण्डल के निर्णय के क्रम में वार्ता की गयी परन्तु कम्पनियों द्वारा चलाये जाने हेतु सहमति व्यक्त नहीं की गयी जिसके क्रम में निर्णय लिया गया कि इलेक्ट्रानिक वे–ब्रिजेज के संचालन हेतु विज्ञापन देकर प्रस्ताव आमंत्रित किये जाए। यदि विज्ञापन पश्चात यथोचित प्रस्ताव प्राप्त नहीं होते है तो उस अवस्था में वे–ब्रिज स्थापना का कार्य मण्डी परिषद की तकनीकी शाखा तथा उसका संचालन मण्डी समिति से कराया जाय।
17	किसान मण्डी भवन में फायर इन्स्टीग्यूसर्स, फायर डोर, पैनल आदि के कार्य का प्रस्ताव	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
18	शासन द्वारा नव सृजित अलीगढ़ मण्डल में मण्डी परिषद के उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) का कार्यालय खोले जाने तथा इस हेतु आवश्यक स्टाफ हेतु पदो के सृजन के सम्बन्ध में विचार।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
19	पूर्व से कार्यरत/सेवा से पृथक मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों के गैर नियमित कर्मियों को भविष्य में होने वाली नियुक्तियों में सेवा शर्तो एवं अर्हताओं में शिथिलीकरण विषयक विचार।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों में पूर्व से कार्यरत/ सेवा से पृथक गैर नियमित कर्मियों को भविष्य में होने वाली नियुक्तियों हेतु सेवा शर्तो एवं अर्हताओं में शिथिलीकरण के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि शासन की स्वीकृति के उपरान्त तद्नुसार कार्यवाही की जाय।
20	अनियमित नियुक्तियों के प्रकरण में मण्डी परिषद स्तर के अधिकारियों के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाहियों के निस्तारण/ लम्बित प्रकरणों पर विचार के सम्बन्ध में।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि मण्डी परिषद के अधिकारियों के विरूद्व अनियमित नियुक्तियों के सम्बन्ध में प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाहियों पर निदेशक, मण्डी परिषद निर्णय लेकर नियमानुसार कार्यवाही करें।
21	श्री सी0एम0 पाण्डेय की सेवाएं विशेष कार्याधिकारी (विधि) के पद एवं वेतनमान रू 8000–275–13500 में दिनांक 10.06.96 से नियमित किये जाने पर कार्योत्तर स्वीकृति व विशेष कार्याधिकारी (विधि) का एक पद वेतनमान रू0 8000–275–13500 में सृजित करने के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
22	श्री आर0के0 निगम, वरिष्ठ सहायक को दिनांक 25.10.2005 से 15.11.2006 तक की अवधि को वाह्य प्रतीक्षा अवधि घोषित करते हुए वेतन दिये जाने विषयक प्रस्ताव।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा श्री आर0के0 निगम, वरिष्ठ सहायक को दिनांक 25.10.2005 से 15.11.2006 तक की अवधि को वाह्य प्रतीक्षा अवधि घोषित करते हुए वेतन दिये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अन्य प्रस्ताव – मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

1	नवीन मण्डी स्थलों में लाईसेन्सियों हेतु बनायी गयी दुकानों के किराये निर्धारण हेतु दुकान की आयु में परिवर्तन एवं दुकान आवन्टन हेतु निर्धारित मण्डी शुल्क/ टर्न ओवर की सीमा में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा निर्णय निम्न निर्णय लिये गये– 1. नवीन मण्डी स्थलों में लाईसेन्सियों हेतु बनायी गयी दुकानों के किराये निर्धारण हेतु दुकान की आयु में परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर सुविचारित प्रस्ताव आगामी मा0 संचालक मण्डल की

		बैठक में प्रस्तुत किया जाय। 2. "स" श्रेणी की दुकानों के आवन्टन हेतु निर्धारित मण्डी शुल्क/ टर्न ओवर की सीमा **(गल्ला मण्डी हेतु रू0 40 हजार औसत मण्डी शुल्क से कम अथवा जिसका टर्न ओवर 25 लाख से कम हो तथा फल सब्जी हेतु रू0 20 हजार से कम औसत मण्डी शुल्क अथवा टर्नओवर रू0 10 लाख से कम)** का संशोधित प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

18.06.2008

(राजेश कुमार सिंह)
निदेशक
सदस्य/सचिव

अनुमोदित

18.06.08

(इन्द्रजीत सरोज)
अध्यक्ष, मण्डी परिषद,
उत्तर प्रदेश